न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :— **248/2024**

GCMS NO. 2024/481

बालडी पत्नी सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

..................वादी

— बनाम —

1. महेन्द्र गुर्जर पुत्र सुरजाराम
2. शैतान सिंह पुत्र सुरजाराम
3. शारदा पुत्री सुरजाराम
   जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
4. राजस्थान राज्य जरिये भू—स्वामी तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रतिवादीगण

वाद — घोषणात्मक नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकीलवादी — श्री ग्यारसीलाल गुर्जर

—: निर्णय :— दिनांक :— 23/12/25

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादिया की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता सं. 134 के ख.नं. 1000, 879, 885, 944, 951, 956, 961 कुल किता 7 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर ग्राम मेहाड़ा गुजरवास तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता सं. 202 के ख.नं. 754, 769 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता संख्या 135 के ख.नं. 945 रकबा 0.27 हैक्टेयर की वादिया संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता सं. 89 के ख.नं. 1867/873 रकबा 0.19 हैक्टेयर की वादिया एकल खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। वादिया का सही नाम बालडी पत्नी सुरजाराम है जो वादिया के आधार कार्ड में दर्ज है। लेकिन उक्त वर्णित भूमियों मे वादिया का नाम क्रमशः बाली पत्नी सुरजा, बाली पत्नी सुरजा, बाली पत्नी सुरजाराम व बालीदेवी पत्नी सुरजाराम दर्ज कर दिया इस प्रकार वादिया व उसके पति का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम बालडी पत्नी सुरजाराम है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादिया व उसके पति का नाम गलत दर्ज होने से वादिया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजात में वादिया का नाम अलग अलग दर्ज होने से वादिया को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है। इसलिये वादिया को अपना नाम दुरूस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता सं. 134 के ख.नं. 1000, 879, 885, 944, 951, 956, 961 कुल किता 7 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर ग्राम मेहाड़ा गुजरवास तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता सं. 202 के ख.नं. 754, 769 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता संख्या 135 के ख.नं. 945 रकबा 0.27 हैक्टेयर तथा ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता सं. 89 के ख.नं. 1867/873 रकबा 0.19 हैक्टेयरमें दर्ज वादिया का नाम बाली पत्नी सुरजा, बाली पत्नी सुरजा, बाली पत्नी सुरजाराम व बालीदेवी पत्नी सुरजाराम हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादिया का नाम बालडी देवी पत्नी सुरजाराम घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 04 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1703 दिनांक 09.07.2025 से से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का नांगलिया गुर्जरवास की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादिया की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में आधार कार्ड की प्रतिलिपि, नकल जमाबन्दी संवत् 2073—2076 खाता सं. नया 134, 135, 89 ग्राम नांगलिया गुर्जरवास व जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 खाता संख्या नया 202 ग्राम मेहाड़ा गुर्जरवास पेश की तथा साक्ष्य में शपथ—पत्र शैतान पुत्र सुरजाराम (पी.डब्ल्यू.—1) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास की जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1703 दिनांक 09.07.2025 की जांच रिपोर्ट व पटवारी हल्का नांगलिया गुर्जरवास की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता सं. 134 के ख.नं. 1000, 879, 885, 944, 951, 956, 961 कुल किता 7 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर ग्राम मेहाड़ा गुजरवास तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता सं. 202 के ख.नं. 754, 769 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता संख्या 135 के ख.नं. 945 रकबा 0.27 हैक्टेयर तथा ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 के खाता सं. 89 के ख.नं. 1867/873 रकबा 0.19 हैक्टेयर में दर्ज वादिया का नाम बाली पत्नी सुरजा, बाली पत्नी सुरजा, बाली पत्नी सुरजाराम व बाली देवी पत्नी सुरजाराम हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादिया का नाम बालडी देवी पत्नी सुरजाराम किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या खाता सं. 134, 135, 89 व ग्राम मेहाड़ा गुजरवास तहसील खेतडी स्थित भूमि हाल खाता सं. 202 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम क्रमशः **बाली पत्नी सुरजा, बाली पत्नी सुरजाराम, बाली देवी पत्नी सुरजाराम व बाली पत्नी सुरजा** के स्थान पर **बालडी देवी पत्नी सुरजाराम** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/1/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनू